

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: नर्सिंग/ग्रा. नर्स-2/( )/2010/1655

दिनांक: 20/12/10

समस्त संयुक्त निदेशक,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:- एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 10050/09 श्री बृज बिहारी नागर,  
अभ्यर्थी ग्रामीण नर्स-2 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2010 की पालना  
बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक  
24.08.2009 के मध्यनजर निदेशालय के पत्र क्रमांक 634 दिनांक 26.08.2009 द्वारा  
निदेशालय के आदेश क्रमांक 355 दिनांक 10.08.2009 के द्वारा नियुक्त ग्रामीण नर्स-2  
को कार्यग्रहण नहीं कराने बाबत निर्देशित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर ने आदेश दिनांक 13.12.2010 पारित कर उक्त  
रिट याचिका को खारिज कर दिया है। अतः उक्त नियुक्ति आदेश में कार्यग्रहण से वंचित  
रहे अभ्यर्थियों को दिनांक 31.12.2010 तक कार्यग्रहण कराकर निदेशालय को सूचित  
करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/ग्रा. नर्स-2/( )/2010/1655

दिनांक: 20/12/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
5. श्री दिनेश यादव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
6. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को उनकी आई. डी. क्रमांक 728 दिनांक 20.12.2010 के  
क्रम में।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), मुख्यालय एवं केस प्रभारी अधिकारी।
8. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर